

**मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, राँची।**

पत्रांक :— 2 / PMC / कार्य-132 / 2007— / राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार
मुख्य अभियंता (मो०)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
देवघर / हजारीबाग / राँची / मेदिनीनगर / लघु सिंचाई, राँची / दुमका / प्रबंध निदेशक,
झालको, राँची / निदेशक, भू-गर्भ जल, निदेशालाय, राँची / उप निदेशक, भू-अर्जन एवं
पुनर्वास, राँची।

विषय :— परिक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षा बैठक मई 2015

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता
में परिक्षेत्राधीन योजनाओं की विभागीय समीक्षा बैठक निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार सभाकक्ष, नेपाल हाउस
में निर्धारित की गई है।

क्रमांक	तिथि एवं समय	परिक्षेत्र
1	2	3
1	16.07.2015 11.00AM से प्रारम्भ	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग।
2	21.07.2015 11.00AM से प्रारम्भ	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।
3	24.07.2015 11.00AM से प्रारम्भ	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची। झालको भू-गर्भ जल, निदेशालाय, राँची।

आपसे अनुरोध है कि निम्न अभिलेखों सहित अपने अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता
संबंधित विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी एवं पुनर्वास पदाधिकारी के साथ बैठक में भाग लेंगे।

- वर्ष 2015-16 का एकरारनामावार (संवेदक के नाम सहित) अद्यतन व्यय प्रतिवेदन।
- सभी योजनाओं का अद्यतन स्केमेटिक डायग्राम (कम्प्यूटर प्रति)।
- On-going योजनाओं, नई योजनाओं एवं भावी प्रस्तावों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु execution plan,
विलम्ब का कारण एवं समाधान पूर्ण औचित्य सहित।
- प्रक्षेत्राधीन विभिन्न पूर्ण सिंचाई योजना के ज्ञासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने/बढ़ाने के
लिये एक कार्य योजना तैयार कर बैठक में अलग से लायेंगे।
- योजनावार खरीफ एवं रब्बी की कितने हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। लक्ष्य के
सापेक्ष इसकी समीक्षा एवं कमी के कारण।
- योजनावार भू-अर्जन एवं पुनर्वास का प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में। (इसकी एक प्रति संयुक्त सचिव को
अलग से उपलब्ध करायी जाय)

भू-अर्जन :-

क्र०	योजना का नाम	कुल भूमि जिसका भू-अर्जन होना है (हे०)	भू-अर्जन पूर्ण (हे०)		लम्बित रकबा (हे०) /धारा	मंतव्य	
		रैयती	GM	रैयती	GM	रैयती	GM
		.					

पुनर्वास :- विरस्थापितों की संख्या, देय सुविधाएँ, दी गई सुविधाएँ, दी जाने वाली शेष सुविधाओं का विस्तृत प्रतिवेदन।

7. वनभूमि के अपयोजन संबंधित प्रस्ताव वन (स्टेज-I एवं स्टेज-II) विभाग को समर्पित करने की योजनावार अद्यतन स्थिति।
8. औद्योगिक इकाइयों से एकरारनामों की स्थिति एवं प्राप्त होनेवले वर्तमान एवं पिछले वित्तीय वर्ष ये प्राप्त राजस्व तथा बकाया की अद्यतन विवरणी पूर्व निर्धारित विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।
9. परिक्षेत्राधीन सभी यांत्रिक कार्यों का प्रतिवेदन।
10. परिक्षेत्राधीन योजनाओं से संबंधित रूपांकण कार्यों का प्रतिवेदन।
11. अन्यान्य (अन्य किसी विषय पर प्रमण्डलों में लम्बित प्रतिवेदन/कार्रवाई)

वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर “What's new” (News & Events) में Upload करेंगे।

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने स्तर से संबंधित भू-अर्जन पदाधिकारियों एवं पुनर्वास पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे।

विश्वासभाजन
हे०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :- 2/PMC/कार्य-132/2007- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त बैठक में प्रतिदिन ससमय भाग लेंगे।

हे०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :- 2/PMC/कार्य-132/2007- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- उप सचिव (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त तिथि को कृपया नेपाल हाउस सभागार को सुव्यवस्थित रखा जाय एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाय।

हे०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक :- 2/PMC/कार्य-132/2007- 521 /राँची, दिनांक ०१.०१.२०१५

प्रतिलिपि :- 1. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची

3. अभियंता प्रमुख-I/II के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची

4. वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची

को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३४२
०१.०१.२०१५
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)